

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश,
ऑडिट भवन, टी.सी.-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010**

सं.: प्र.म.ले.(ले.प.-II)/e-office/Admin/NFU/F.No.93/e-117378/ 84 दिनांक: 24.07.2026

कार्यालय आदेश/Office Order

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उ.प्र., प्रयागराज के कार्यालय आदेश संख्या: प्र.म.ले. (ले.प.-I)/प्रशा./फा.सं.274/2026-27/69 दिनांक 10.07.2026 के अनुक्रम में इस कार्यालय में तैनात निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से Non Functional Upgradation (NFU) का लाभ प्रदान किया जाता है।

यदि किन्हीं परिस्थितियों में प्रदान किये गये Non Functional Upgradation में बदलाव/वापस लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है तब NFU प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन से की जाएगी।

वेतन निर्धारण हेतु विकल्प उक्त आदेश के एक माह के अन्दर पी.सी. अनुभाग को प्रस्तुत किया जा सकता है।

In pursuance of Office Order No. प्र.म.ले. (ले.प.-I)/प्रशा./फा.सं.274/2026-27/69 dated 10.07.2026 issued by the Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Uttar Pradesh, Prayagraj, the following officer posted in this office is hereby granted the benefit of Non-Functional Upgradation (NFU) with effect from the date indicated against his name.

Under any circumstances, if, it becomes necessary to revise or withdraw the Non-Functional Upgradation (NFU) granted, any excess payment made as a consequence of such grant shall be recovered from the salary of the concerned officer.

The option for pay fixation may be submitted to the P.C. Section within one month from the date of the aforesaid office order.

Sl. No.	Name (Shri/Ms.)	Designation	Date of Granting NFU	Matrix Pay Level
1.	Om Pal	AAO	13.06.2026	MPL-9

— हस्ता. —
वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

सं.: प्र.म.ले.(ले.प.-II)/e-office/Admin/NFU/F.No.93/e-117378/ 1190 दिनांक: 24.07.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ।
2. समस्त वर्गाधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ।
3. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उ.प्र. प्रयागराज।
- ✓ 4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य प्रशासन/पी.सी./रिपोर्ट-I, II & III/आई.टी.ए./विधि अनुभाग/हिंदी अनुभाग/समन्वय/डी.ए.सी.आर.सी., कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ।
5. व.ले.प.अ./आई.टी.ए. सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यालय आदेश की एक प्रति Office Website पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. संबंधित अधिकारी।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी. प्रकोष्ठ
सामान्य/जायरी संख्या 66
दिनांक 24/7/26

7. सूचना पट्ट ।
8. गार्ड फाइल ।

Digitally signed by
Varidhish Gupta
Date: 24-07-2026
09:55:52
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन